



कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा

जिला- सुकमा (छत्तीसगढ़) पिन कोड 494111

Website:- www.cgmfpfed.org. E-mail:- mdsukma81@gmail.com

क्रमांक/जि.यू./2025/ 24/11

सुकमा दिनांक 30/8/2025

विज्ञापन

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक के रिक्त पद की भर्ती हेतु निर्धारित सेवा शर्तें, अर्हतायें एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 12.07.2025 से 30.07.2025 समय शाम 05.00 बजे तक कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क.	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद	वर्ग	समिति कार्यक्षेत्र में आने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण केन्द्र/ग्राम का नाम जहां के निवासी आवेदन पत्र कर सकते हैं।	कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
01	जगरगुण्डा	प्रबंधक	1 (एक)	अनारक्षित	तमिलवाड़ा, बुरकापाल, टोकनपल्ली, मुकरम, तोंगगुड़ा, चिंतलनार, मिलमपल्ली, रावगुड़ा, जगरगुण्डा, खमारगुड़ा, चिंतलनार (रेवालीपारा), राजपेंटा, कोंडासांवली, तेलमिलवाड़ा, तारलागुड़ा, लखापाल, केरलापेंटा-अ, नागाराम, कोत्तापल्ली, गानगुलावा, कामाराम, एलमपल्ली, गुमोड़ी, बंजेपल्ली, सिरमिलावा, विक्रमपल्ली, केरलापेंटा-ब (पटेलपारा), दुरमा, गोलागुड़ा एवं लखापाल-ब।	प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा (छ.ग.)

1. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.07.2025 शाम 05:00 बजे तक।
2. पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन दिनांक 10.08.2025 किया जावेगा। (जिसे वनमण्डल/जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, सुकमा के कार्यालय के सूचना पटल पर एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला सुकमा के वेबसाइट <https://sukma.gov.in> पर देखा जा सकता है)।
3. पात्र/अपात्र अभ्यर्थी के संबंध में दावा आपत्ति हेतु आवेदन दिनांक 15.08.2025 से 20.08.2025 दोपहर 03.00 बजे तक जिला यूनियन कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
4. प्रबंधक भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला सुकमा के वेबसाइट <https://sukma.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रबंध संचालक

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित
सुकमा

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति में प्रबंधक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार

(अ) नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं :-

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेन्डरी (10+2) उत्तीर्ण होगी ।
2. अभ्यर्थी का, संस्था (समिति) क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है । (यदि आवेदक समिति क्षेत्र के बाहर का निवासी है एवं तेंदूपत्ता उक्त समिति क्षेत्र में संग्रहण किया जाता है तो अपात्र होगा)
3. यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था (समिति) क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो, जिसने नियुक्ति के पूर्व पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 500 गड्डी तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य किया हो । आवेदन के साथ तेंदूपत्ता संग्रहण कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री होना अनिवार्य है, मान्यता प्राप्त संस्था निम्नानुसार रहेंगे :-
 - (अ) शासन से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ।
 - (ब) शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/ माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (02 वर्ष से अन्यून)
 - (स) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /डिम्ड युनिवर्सिटी /इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा पदत कम्प्यूटर साईस/ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि ।
 - (द) DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा ।
 - (ई) कम्प्यूटर विषय में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा (Diploma in Computer Application) DCA ।
5. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं आवेदन करने की अंतिम तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है । अंतिम तिथि के बाद जारी कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा ।
6. शासकीय अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को नियोक्ता से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किये गये समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं । समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने अथवा उक्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित न होने के स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
9. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी ।

10. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित पदेन सहायक पंजीयक सुकमा का निर्णय अंतिम होगा ।

(ब) आयु सीमा :-

चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित आयु पूरी करनी होगी अर्थात् :-

1. 1 जनवरी 2025 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।
2. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।
4. छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक, अजजा/अजा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों को छ.ग. शासन के नियमानुसार आयु में शिथिलता प्रदान की जावेगी ।
5. उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त भी संघ के सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(स) अन्य अर्हतायें :-

1. अभ्यर्थी मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो ।
2. अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायापता न हो ।
3. छ.ग.सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित/प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के संचालक मण्डल का परिभाषित संबंधी न हो ।

(द) चयन प्रक्रिया :-

1. प्रबंधक पद पर चयन हेतु कुल 125 अंक निर्धारित किये जाते हैं, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जायेंगे :-

(क) 10+2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जायेंगे (अधिकतम 100 अंक) । (उदाहरणार्थ - यदि किसी आवेदक को हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 75.5 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 75.5 अंक दिये जायेंगे)

(ख) स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के अनुपात में $1/5$ अंक दिये जायेंगे (अधिकतम-20 अंक) (उदाहरणार्थ 70 प्रतिशत प्राप्तांक को 14 अंक दिये जायेंगे)

(ग) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक दिए जायेंगे । सर्टिफिकेट/डिप्लोमा हेतु 3 अंक एवं उच्चतर डिग्री(यथा-पी.जी.डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि) हेतु 5 अंक दिये जायेंगे ।

(घ) उपयुक्त कंडिका (क) (ख) (ग) के अनुसार जिला यूनियन द्वारा उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी। प्रावीण्य सूची में यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को बराबर अंक प्राप्त हैं, तो आयु में वरिष्ठता के आधार पर उम्मीदवार को वरिष्ठता प्रदान की जावेगी ।

(इ) नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :-

1. कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी का पुलिस से सत्यापन अनिवार्य होगा ।

2. चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच (शासकीय चिकित्सालय) के मापदंडों में स्वस्थ पाया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी को प्रत्याभूति के रूप में रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार रुपये मात्र) नगद अथवा सावधि जमा अथवा साल्वेंसी के रूप में संस्था में जमा करना होगा।
4. चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर कार्यरत रहेगा। तत्पश्चात कार्य मूल्यांकन उपरांत उसे नियमित किया जावेगा।

(फ) वेतन -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्या.रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन देय होगा।

(ग) यात्रा भत्ता -

प्रबंधका को संघ द्वारा स्वीकृत दरो पर यात्रा भत्ता देय होगा।


प्रबंध संचालक

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित,
सुकमा

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित,
सुकमा,

आवेदित पदनाम :-
समिति का नाम :-

स्वप्रमाणित फोटो
फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म तिथि (अंको में)
(शब्दों में)
4. दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में आयु वर्ष माह दिन
5. जाति वर्ग (आ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./अनारक्षित)
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र)
की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
6. स्थायी पता
.....
.....
7. डाक व्यवहार का वर्तमान पता एवं
टेलीफोन नम्बर
.....
.....
8. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं
(हां/नहीं) (यदि हां, तो प्रमाण-पत्र की
सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. लिंग (महिला/पुरुष)
10. वैवाहिक स्थिति (सही ✓ निशान लगावे)

पुरुष			महिला		
विवाहित	अविवाहित	विधुर	विवाहित	अविवाहित	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा

1. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि.....
2. जीवित बच्चों की संख्या
3. रोजगार कार्यालय का नाम
जीवित पंजीयन क्रमांक / दिनांक
10. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	कुल प्राप्तांक	श्रेणी	प्राप्तांको का प्रतिशत

(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

11. यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध दण्डिक प्रकरण किसी

पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित है अथवा
न्यायालय से निराकृत हो चुका है ? यदि हां
तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण
क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी का
स्पष्ट रूप से उल्लेख करें ।

12. तेन्दूपत्ता संग्रहण की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2021		वर्ष 2022		वर्ष 2023		वर्ष 2024		वर्ष 2025	
संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या	संग्रहण कार्ड क्र.	संग्रहित गड्डी संख्या

(संग्रहण कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया है । इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के दौरान भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी ।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

सहपत्रों का विवरण (संलग्न किए गए सहपत्र पर सही ✓ का निशान लगावें)

क्रमांक	विवरण	सही ✓
1	छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र	
2	आ.ज.जा./अ.जा./अ.पि.व./वर्ग के उम्मीदवारों का जाति प्रमाण-पत्र	
3	शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र	
3.1	हायर सेकेण्डरी (10-2)	
3.2	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	
3.3	मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर डिग्री	
4	छत्तीसगढ़ राज्य के भूतपूर्व सैनिक अ.ज.जा./अ.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त एवं स्वयं सेवी नगर सैनिकों को प्रमाण पत्र ।	
5	तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्ड-	
	संग्रहण वर्ष 2021	
	संग्रहण वर्ष 2022	
	संग्रहण वर्ष 2023	
	संग्रहण वर्ष 2024	
	संग्रहण वर्ष 2025	

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम -

मोबाईल नम्बर